Effect of change in Leadership in Sri Lanka on lndia-Sri Lanka Agreement

3408. SHRI V. NARAYANASAMY:
DR. ARRAR AHMED KHAN:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state;

(a) whether it is a fact that the LTTE resorted to violence even during the recent elections in Sri Lanka;

(b) whether it is a fact that some of the Indian troops who were main-aimng peace in Sri Lanka have returned to India; and

(c) whether Government consider any threat to the Indo-Sri Lankan Agreement in view of the change of leadership in Sri Lanka?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

**त्रिभाषा फार्मूले के संबंध में प्रधानाचार्यों की आशंकाएं**

3409. **श्री अजीत जोगी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने हाल ही में हुई अपनी एक बैठक में यह अभिमत व्यक्त किया है कि केन्द्र सरकार की नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत त्रिभाषा फ़ार्मूले के संबंध में सेन्ट्रल बोर्ड आफ़ सेकण्डरी एजुकेशन द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करना व्यावहारिक और संभव नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ;

(ग) क्या यह सच है कि यदि पूर्ण रूप से इन निर्देशों का पालन किया जाए तो विभिन्न भाषाओं को पढ़ाने के लिए न तो शिक्षक ही उपलब्ध होंगे और न ही इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय को वहन करना आसान होगा ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इस निर्णय को सम्पूर्ण देश के सभी विद्यालयों में लागू करने से संस्कृत का अध्ययन बंद हो जाने की संभावना है ; और

(च) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री श्री एस० पी० लाही** : (क) जी, हां ।

(ख) से (च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सितम्बर, 1988 में जारी की गयी माध्यमिक स्तर पर अध्ययन योजना में वर्ष 1968 और 1986 की शिक्षा नीति में निहित त्रिभाषा सूत्र में यथा अपेक्षित भाषाओं के शिक्षण के लिए प्रबन्धों को निर्धारित किया गया है । यह सच नहीं है कि नयी योजना के अन्तर्गत संस्कृत के अध्ययन को हानि होगी क्योंकि वे सभी छात्र जो "ए" स्तर पर हिन्दी का अध्ययन करेंगे, वे हिन्दी के साथ संस्कृत का अध्ययन करेंगे । इसकी बोर्ड की परीक्षा में जांच की जाएगी । फिर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने भाषा के सम्बन्ध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गयी अध्ययन की नई योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा दिल्ली प्रशासन उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त निर्णय लेंगे ।

**मध्य प्रदेश में रेल फाटकों पर पुलों का निर्माण**

3410. **श्री अजीत जोगी** : क्या रेल मंत्री 24 फ़रवरी, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 208, के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में

रेल फाटकों पर निर्माण करने के लिये स्वीकृत 11 पुलों में से एक भी पुल का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और न ही निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक पायी गई है,

(ख) उन पुलों की संख्या कितनी है जिनका निर्माण-कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) शेष पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने में कितना समय लगने की संभावना है?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद)** : (क) यद्यपि 11 ऊपरी/निचले सड़क पुल में से किसी भी पुल का कार्य पूरा नहीं हुआ है तथापि, राज्य सरकार के साथ मिलकर इन पुलों पर कार्य शीघ्र शुरु करने के लिये प्रारम्भिक व्यवस्था की कार्यवाही चल रही है। 5 पुलों पर निर्माण कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है।

(ख) एक।

(ग) इन पुलों का पूरा होना मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा निष्पादित किय जाने वाले पहुंच-मार्गों के पूरा होने पर निर्भर करेगा।

**रेल विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी**

3411. **श्री अजीत जोगी** : क्या रेल मंत्री 2 मार्च, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 983 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रुप क(वर्ग-I) और ग्रुप ख(-वर्गII) के पदों के लिये आरक्षित कोटे, जो पहले से ही अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिये अपेक्षित कोटे से कम है, को भरने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान क्या प्रगति की गयी है?

**रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री महाबीर प्रसाद)** : पिछले एक वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती से संबंधित प्रगति निम्नलिखित है।

ग्रुप-ए (श्रेणी-I)

| वर्ष | अनुसूचित जाति | | अनुसूचित जनजाति | |
|---|---|---|---|---|
| | सं० | प्रतिशत | सं० | प्रतिशत |
| *1986-87 | 686 | 10.34 | 198 | 2.98 |
| 1987-88 | 697 | 10.36 | 211 | 3.13 |
| ग्रुप-बी (श्रेणी-II) | | | | |
| *1986-87 | 931 | 15.08 | 203 | 3.28 |
| 1987-88 | 1025 | 15.74 | 226 | 3.47 |

*संशोधित आंकड़े